28.07.2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में ख्अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड में वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग करने में वंचित हो रहे है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। एवं अप्रार्थीगण को अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी में दखलदांजी करने से रोके जाने का आदेश फरमावे। कैवियटकर्ता अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड व मौके पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है, मौके पर हम अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में विभाजन नही होने से मौके पर काश्त करने में परेशानी का सामना करना पडता

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

है, अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट को उसकी खातेदारी आराजी से बेदखल कर किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने पर उतारू है, अगर अपीलाण्ट अपने मंसुबो में कामयाब होकर रेस्पोडेण्ट को उसकी कब्जा सुदा आराजी खातेदारी से बेदखल कर दिया तो इससे मौके पर विवाद होने की आशंका है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। धारा 39 नियम 3(क) सीपीसी के प्रावधान से स्पष्ट है कि "जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई है तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए यदि ऐसा करने में असमर्थ है तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चहिए।" अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश है जिसमें इस स्टेज पर हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अत सहायक कलेक्टर बागौड़ा को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली